

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
-----------------------------------	-------------------------------------	--

-5-

न्यायालय- अनुमण्डल दण्डाधिकारी, अरवल ।

धारा- 145 दण्ड सं 0, वाद सं 0-396/2011

लाल बहादुर सिंह----- प्रथम पक्ष

राधेश्याम महतो वगैरह----- द्वितीय पक्ष

आदेश

13/07/12

उपरोक्त वाद की कार्यवाही प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल आवेदन के आलोक में आरम्भ किया गया । वाद नं 0-116 के विभिन्न प्लॉटों की भूमि जिसका कुल रकबा-2.14 हीठर अविस्थित मौजा- रामपुर वैना, धाना-परासी, जिला- अरवल की प्रश्नगत भूमि से सम्बंधित अपना- अपना ब्यान-तहरीर देने का आदेश उभय पक्ष को दिया गया । तामीलोपरान्त उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित । द्वितीय पक्ष द्वारा धारा- 145

दिनांक 16/8/12
 दिनांक 25/8/12
 दिनांक 28/8/12

(Handwritten signature)

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्यवाही के खाते की तिप्पणी तारीख का माध्य 3
-----------------------------------	-------------------------------------	--

-2-

दं 0 सं 0 के अन्तर्गत आवेदन दाखिल एवं

प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिउत्तर प्राप्ति उपरान्त

अभिलेख सुनवाई पर उपस्थापित ।

प्रथम पक्ष का कथन है कि पूर्व में धारा-

145 दं 0 सं 0, वाद सं- 937/ 2005 का

संवादन कार्यवाही में निर्दिष्ट भूमि पर इन्हीं

पक्षकारों के मध्य हुआ, जिसमें द्वितीय पक्ष की

ओर से धारा- 145 दं 0 सं 0 के

अन्तर्गत विगत दिनांक- 20/ 07/ 2006 को

आवेदन कार्यवाही समाप्त करने हेतु दाखिल

किया गया जिसका प्रतिउत्तर प्रथम पक्ष द्वारा

दाखिल किया गया तथा अभिलेख को सुनवाई

पर निर्धारित कर उभय पक्ष के सुनवाई पश्चात्

विगत 06/ 09/ 2006 को द्वितीय पक्ष

12/ 09/ 2006

का 145 दं 0 सं 0 का आवेदन अस्वी-

कृत कर अग्रेतर कार्यवाही जारी रखा गया ।

